जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-21.05.2025**

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत चौसाना रोड़ पर जानलेवा हमला करने के मामले में 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

ज्ञात हो कि दिनांक 11.04.2025 को वादी सतीश कुमार सैनी पुत्र पूरण सिंह निवासी ग्राम कच्ची गढी थाना गढीपुख्ता जनपद शामली के साथ 04 व्यक्तियो द्वारा लाठी डंडो से मारपीट व धारदार हथियार से जान से मारने की नियत से हमला करने व हमलावर द्वारा गाड़ी मे डालकर घर ले जाकर मारपीट करने के मामले में नामजद लिखित तहरीर दाखिल की थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था। उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक शामली ने प्रभारी निरीक्षक थाना झिंझाना को घटना में लिप्त अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था ।

इसी क्रम में आज दिनांक 21.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत चौसाना रोड़ पर जानलेवा हमला करने के मामले में 02 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है ।। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त अभियुक्त विक्रम व काकूल उर्फ रोहन को दिनाँक 13.04.2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.गुरमीत पुत्र सुरेश निवासी ग्राम खेडी खुशनाम थाना झिंझाना शामली।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 05 लीटर कच्ची शराब बरामदः-

दिनांक 20.05.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध 05 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.अंकुर पुत्र जयवीर निवासी मौहल्ला सीतापुरी थाना झिझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 05 लीटर कच्ची शराब।

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 21.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.देवेन्द्र पुत्र जयपाल निवासी मिलाना रोड थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में गौवध अधिनियम के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई सजा व 2,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-</u>

1.-वर्ष 1995 में अभियुक्त सुधीर पुत्र लक्ष्मीचन्द निवासी ग्राम पिण्डौरा थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 29/1995 धारा 5/8 गौवध अधिनियम पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 21.05.2025 को माननीय एसीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुये जेल में बितायी अवधि के कारावास व 2,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

<u>SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI</u>